रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122020-223866 CG-DL-E-22122020-223866

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4073] No. 4073] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/PAUSHA 1, 1942

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

आदेश

नई दिल्ली. 22 दिसम्बर. 2020

का.आ. 4636(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला इटावा के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क- पदेन सदस्यगण

1. जिलाधिकारी, इटावा

अध्यक्ष

 अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड-1, इटावा (लोक निर्माण) सदस्य

3. अधिशाषी अभियंता, भोगनीपुर प्रखण्ड, निचली गंग नहर, इटावा (सिंचाई विभाग)

सदस्य

6252 GI/2020 (1)

4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इटावा (स्वास्थ्य विभाग)

सदस्य

5. अधिशाषी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इटावा

सदस्य

6. अधिशाषी अभियंता, अष्टम शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, इटावा सदस्य

7. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भवन संख्या-3/5 बी, सैक्टर-3, सुहागनगर, फिरोजाबाद सदस्य

8. मुख्य विकास अधिकारी, इटावा

सदस्य

9. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग), इटावा सदस्य व संयोजक

ख. नामित सदस्यगण

1. डॉ. राजीव चौहान, महासचिव, सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (SCON), 576, करमगंज. पंजाबी कॉलोनी. इटावा (पर्यावरणविद)

सदस्य

2. डॉ. सुशील कुमार, प्रवक्ता (वनस्पति विज्ञान), कर्मक्षेत्र महाविद्यालय (के.के.डी.सी.) इटावा (पर्यावरणविद)

सदस्य

3. श्री अनंत अग्रवाल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग एवं व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, इटावा

सदस्य

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.–01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)] रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

(NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA)

ORDER

New Delhi, the 22nd December, 2020

S.O. 4636(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (herein after referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttar Pradesh State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Etawah comprising of the following members, namely:

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

A. Ex-officio Members:

District Magistrate, Etawah - Chairperson;
Executive Engineer, Public Works Department, Nirman Khand-1, Etawah (Public Works) - Member;

3. Executive Engineer, Bhognipur Division, Nichli Gang Nahar, Member; Etawah (Irrigation Department)

4. Chief Medical Officer, Etawah (Public Health)- Member;

5. Executive Engineer, Rural Engineering Department, Etawah - Member;

6. Executive Engineer, 8th Branch, Uttar Pradesh Jal Nigam, Etawah-

7. Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, Member; Bhavan No.3/5 B, Sector-3, Suhagnagar, Firozabad

8. Chief Development Officer, Etawah- Member;

9. Divisional Forest Officer, Social Forestry Division, (Environment, Forest and Climate Change Department), Etawah

B. Nominated Members:

1. Dr. Rajeev Chauhan, General Secretary, Society for Conservation of Nature, 576, Member; Karamganj, Punjabi Colony, Etawah (Environmentalist)-

2. Dr. Sushil Kumar, Professor, Botany, Karamkshetra Mahavidyalaya, Etawah Member; (Environmentalist)-

3. Shri Anant Agrawal, President, Uttar Pradesh Udyog Evam Vyapar Mandal, Member. Etawah-

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- 4. Travelling allowance daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)] ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)